


## न्यायालय तहसीलदार बायतु

प्राथी

बनाम

विप्राथी

राजस्थान सरकार  
पटवारी हल्का भीमडा

  
जाति ~~...~~ निवासी भीमडा

मुकदमा नम्बर 59/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 21.12.2018

पत्रावली आज पेश हुई। विप्राथी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्राथी द्वारा संवत् 2075 में ग्राम भीमडा के खसरा नम्बर 358/314 रकबा 31.10 बीघा किस्म गै. मु. गोचर सरकारी भूमि में से रकबा 1500 वर्ग फीट चीणे रोपकर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा विप्राथी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्राथी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्राथी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। ग्राम भीमडा के खसरा नम्बर 358/314 की भूमि सरकार की गै. मु. गोचर भूमि है। विप्राथी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्राथी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 0.10 रु 50 गुणा जुर्माना रु 50/- अखरे पचास रुपये मात्र किया जाता है। जो विप्राथी से वसूल हो। विप्राथी को मोके से बेदखल करने भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने हेतु भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व त.रा.ले. तहसील हाजा आदेश से सूचित हो, पत्रावली फेसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

तहसीलदार बायतु  
